प्रेस नोट दिनांक-11.09.2021

इटावा पुलिस द्वारा दिनांक 08.09.2021 को थाना ऊसराहार क्षेत्र के ग्राम सुजानपुर के तालाब में मिले 03 शवों (01 महिला ,02 बालक) की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया !

आगामी त्यौहारो को सकुशल संपन्न कराने एवं जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डा0 श्री बृजेश कुमार सिहं के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा व अपर पुलिस अधीक्षक अपराध इटावा व क्षेत्राधिकारी भरथना कें नेतृत्व में एसओजी टीम व थाना ऊसरहार पुलिस द्वारा संयुक्त रुप से कार्यवाही करते हुए दिनांक 08.09.2021 को थाना ऊसराहार क्षेत्र के ग्राम सुजानपुर के तालाब में मिले 03 शवों (01 महिला ,02 बालक) की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.09.2021 को डायल -112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुयी कि थाना ऊसराहार के ग्राम सुजानपुर के तालाब में 03 शव (01 महिला,02 बच्चे) मिले है। इस सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारियों एवं थानाध्यक्ष ऊसराहार द्वारा मौके पर पहुच कर शव को कब्जे में लिया गया। तीनों शवो की पहचान पवनेश कुमारी उर्फ रामादेवी पत्नी योगेश निवासी सुजानपुर भिडैया थाना ऊसराहार एवं उसके बच्चे खुशी एवं दिव्यांश के रुप में हुयी थी। जिन्हे पुलिस द्वारा पंचायतनामाभर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार मृतका पवनेश की मृत्यु सिर चोट लगने व बच्चों की मृत्यु पानी में डूबने के कारण होना पाया गया था । जिसके संबंध में मृतका के भाई की तहरीरी सूचना के आधार पर मु0अ0स0 188/21 धारा 498ए,302,201,506 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट बनाम योगेश उर्फ भूरे (मृतका का पति) अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

प्रकरण को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा स्वंय घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में एसओजी टीम व थाना ऊसरहार से 02 पुलिस टीम गठित की गयी। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु इलैक्ट्रोनिक एवं मैनुअल साक्ष्यों को संकलित कर निरंतर संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक 11.09.2021 को मुखबिर की सूचना के आधार पर बच्चों एवं पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त योगेश को कुठेतिया पुल थाना ऊसराहार से गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस पूछताछ-

पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया कि उसकी पत्नी मृतका पवनेश का उसके जीजा भवनेश कुमार पुत्र जगदीश सिंह निवासी उमरहार थाना किशनी जनपद मैनपुरी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दिनांक 03.09.2021 को मेरी पत्नी मृतका पवनेश अपनी दूसरी बहन भूरा देवी के ग्राम पट्टी सौरिख जनपद कन्नौज तैहरवी खाने गयी हुयी थी एवं दिनांक 04.09.2021 को मुझे बिना बताये बहन ईश्वरी देवी पत्नी भगवानदास निवासी उमरहार जनपद मैनपुरी चली गयी। दिनांक 05.09.2021 को जब मैं उसे वहॉ से बुलाने गया तो उसके द्वारा मेरे साथ आने से मना कर दिया और मुझ से झगडा करने लगी। इस पर मेरा सदेह हकीकत में बदल गया। दिनांक 08.09.2021 को अपने घर ग्राम सुजानपुर में हम दोनो के मध्य झगडा हो गया था जिस में विवाद ज्यादा होने पर मैने अपनी पत्नी मृतका पवनेश को थप्पड मार दिया गया। तो मृतका पवनेश दोनो बच्चो को लेकर घर से निकल गयी मै भी उसके पीछे –पीछे चल दिया तो मैने अपने बच्चों को लेने की कोशिश की तो उसने कहा कि ये तेरे बच्चे नही है इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया और मेरे द्वारा दोनो

बच्चो को तालाब में फेक दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गयी उसके बाद मैने अपनी पत्नी के सिर ईट से प्रहार कर उसे भी बेहोशी की हालत में तालाब में फेक दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. योगेश उर्फ भूरे पुत्र हाकिम सिंह निवासी सुजानपुर भिडैया थाना ऊसराहार जनपद इटावा

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 188/21 धारा 498ए,302,201,506 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना ऊसराहार जनपद इटावा

***पुलिस टीम*- प्रथम टीम-** निरी0 श्री जितेन्द्र प्रताप सिहं प्रभारी एसओजी इटावा मय टीम, उ0नि0 श्री बेचन सिंह प्रभारी सर्विलांस इटावा मय टीम,

द्वितीय टीम- श्री तेज सिंह थानाध्यक्ष ऊसराहार मय टीम।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
इटावा